

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाये राज. जयपुर

क्रमांक.-नर्सिंग/नर्स-2(F)/सी-30/2019/

दिनांक:-

आदेश

निम्नलिखित नर्स-2, (परिवीक्षाधीन) के आवेदित अवकाश स्वयं के पारिवारिक कारणों के आधार पर उनके नाम के सम्मुख अंकित असाधारण अवकाश स्वीकृत किया जाता है:-

क्र. स.	नाम कर्मचारी	दिनांक से	दिनांक तक	अवधि	विवरण
1.	विद्या/अमरचन्द सिंह	28.06.16 01.07.16	30.06.16 24.07.16	03 24	असाधारण अवकाश
2.	दिनेश ढाका	22.02.17	25.02.17	04	असाधारण अवकाश
3.	अनिता पूनिया	25.12.17	26.12.17	02	असाधारण अवकाश
4.	मंजू महला	20.03.16 16.05.17	27.03.16 04.06.17	08 20	असाधारण अवकाश
5.	सुमन कुमारी/ रामनिवास	16.03.16	20.03.16	05	असाधारण अवकाश
6.	प्रियंका कुमारी	16.03.16	20.03.16	05	असाधारण अवकाश
7.	सुनिता कुमारी/ प्यारेलाल	10.12.16	13.12.16	04	असाधारण अवकाश
8.	सुनिता/महावीर	03.07.17	-	01	असाधारण अवकाश
9.	अनुराधा/बाबुलाल	21.11.16	10.12.16	20	असाधारण अवकाश
10.	पूनम कुमारी/ धर्मपाल	19.06.16	-	01	असाधारण अवकाश

उक्त आदेश वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक F.1(2)FD(Rules)/06/Part-1 दिनांक 11.06.2014 के अनुसरण में एक माह से अधिक अवधि के उपरान्त उपभोग किये गये असाधारण अवकाश की सीमा तक उनके परिवीक्षाकाल में अभिवृद्धि की जावेगी।

(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ

राजस्थान जयपुर

दिनांक:- 15-2-2019

क्रमांक:-नर्सिंग/नर्स-2(F)/सी-30/2019/244

प्रतिलिपि:-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. अधीक्षक, पी.बी.एम. एवं सम्बद्ध चिकित्सालय वर्ग, बीकानेर।
2. सम्बन्धित कार्मिक द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
3. प्रभारी सर्वर रूम को भेजकर लेख है कि विभागीय वेबसाइट पर आदेश अपलोड करें।
4. आदेश/रक्षित पत्रावली।

(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ

राजस्थान जयपुर